पत्र सं०–6 एस०एस०(6)40 / 2026– 2921 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 11/06/2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX
द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के तहत "इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना" हेतु केन्द्र सरकार के केन्द्रांश रुपये 18.7255 करोड़ (अठारह करोड़ बहत्तर लाख पचपन हजार रुपये मात्र) तथा राज्यांश रुपये 12.4837 करोड़ (बारह करोड़ अड़तालीस लाख सैंतीस हजार रुपये मात्र) अर्थात् कुल रुपये 31.2092 करोड़ (इकतीस करोड़ बीस लाख बानबे हजार रुपये मात्र) राशि की लागत पर योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के तहत "इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना" हेतु केन्द्र सरकार के केन्द्रांश रुपये 18.7255 करोड़ (अठारह करोड़ बहत्तर लाख पचपन हजार रुपये मात्र) तथा राज्यांश रुपये 12.4837 करोड़ (बारह करोड़ अड़तालीस लाख सैंतीस हजार रुपये मात्र) अर्थात् कुल रुपये 31.2092 करोड़ (इकतीस करोड़ बीस लाख बानबे हजार रुपये मात्र) राशि की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्कीम का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I एवं II के रूप में संलग्न।

2. इस बहु–उद्देश्यीय योजना के सफल कार्यान्वयन से राज्य के मात्स्यिकी एवं जल कृषि की संपूर्ण वैल्यू चेन एवं आधारभूत संरचनाओं के साथ–साथ मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि, मत्स्य प्रसंस्करण, व्यापार, वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीक की प्रशिक्षण तथा मनोरंजन गतिविधियों को समेकित रूप से समग्र विकास होगा। साथ ही, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ एवं रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे तथा मछुआरों / मत्स्य कृषकों का आर्थिक उत्थान भी होगी।

1 Typed by Sanjay Kumar

3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य चिन्हित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में मात्स्यिकी के विभिन्न श्रृंखलाओं से संबंधित आधारभूत संरचनाओं एवं मात्स्यिकी विकास की अवयवों का निर्माण/अधिष्ठापित कर एक क्रियाशील समेकित मात्स्यिकी के समग्र यूनिट का विकास एक ही छतरी के नीचे करना है, जिससे भविष्य में मात्स्यिकी एवं जल कृषि एवं इको टुरिज्म का समेकित विकास हो सके।

4. "इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना" से नवीनतम मत्स्य पालन के तकनीक का डेमोन्स्ट्रेशन के साथ–साथ मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादक्ता में गुणात्मक वृद्धि होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। राज्य में मात्स्यिकी से संबंधित आजीविका तथा ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के नये अवसरों का सृजन होगा तथा मत्स्य पालकों/कृषकों के वार्षिक आय में अभिवृद्धि के साथ–साथ उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी होगा।

5. इस योजना के तहत केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के तहत बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में "इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना" किया जाएगा।

6. योजना की संक्षिप्त विवरणी निम्न है :–

(i) भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. j-117012/13/2020-Fy (E-17011), दिनांक–29.03.2026 द्वारा केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के तहत बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में "इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना" हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ii) उक्त इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना भोजपुर जिला के करिसात स्थित वनसौर फिश सीड फार्म में की जाएगी जिसका राजस्व खाता संख्या–915 तथा खेसरा संख्या–1139, 1145 एवं 1146 तथा कुल 31.47 एकड़ रकवा है। यह फिश सीड फार्म पटना–बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तथा करिसात रेलवे स्टेशन के समीप अवस्थित है। वर्तमान में इस फार्म में 5 नर्सरी तालाब एवं 6 ग्रो–आउट तालाब उपलब्ध हैं, जो खरपतवार से आच्छादित एवं गादयुक्त (सिल्टेड) हैं, तथा इनका उपयोग मत्स्य बीज उत्पादन के लिए किया जाता है।

(iii) इस केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत गैर लाभुक आधारित के तहत "इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना" के तहत अवयवों का अवयववार निर्धारित इकाई लागत का 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा क्रमशः केन्द्रांश तथा राज्यांश के रूप में वहन किया जायेगा।

(iv) इस योजना के तहत (1) Carp Hatchery (Hatchery component with shed), (2) Stripped catfish hatchery (Hatchery component with shed), (3) Brooder Incubation Unit, (4) Overhead Tank, Concrete Rearing Tank, ETP Pipeline, (5) Construction of different pond facilities, (6) Construction of biofloc facilities, (7) Recirculating Aquaculture System (RAS), (8) Feed mill shed with machinaries, (9) Construction of Hostel/Guest House, (10) Construction of administrative, laboratory and training complex, (11) Water quality lab equipment, (12) Equipments for disease diagnostic laboratory, (13) P.C.C. Road in campus, (14) Drainage in campus, (15) Septic Tank, (16) Quarantine tank and wet lab facility & (17) Tube well with 3 HP Submersible Pump 4 Nos का निर्माण/अधिष्ठापन किया जायेगा (तीन प्रतिशत आकस्मिकता व्यय राशि सहित अवयववार–निर्धारित इकाई लागत, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–II संलग्न)। संलग्न अवयववार–निर्धारित इकाई लागत पर (एस०ओ०आर० के अनुसार) सक्षम प्राधिकार का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है।

(v) इस योजनान्तर्गत "इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना" का इकाई लागत ₹ 31.2092 करोड़ (इकतीस करोड़ बीस लाख बानबे हजार रूपया मात्र) निर्धारित है जिसका 60 प्रतिशत अर्थात– ₹ 18.7255 करोड़ (अठारह करोड़ बहत्तर लाख पचपन हजार रुपये मात्र) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत यथा ₹ 12.4837 करोड़ (बारह करोड़ अड़तालीस लाख सैंतीस हजार रुपये मात्र) राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में वहन किया जायेगा। निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अतिरिक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

7. क्रियान्वयन :–

(i). योजनान्तर्गत "इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना" का निर्माण कार्य विभागीय अभियंता के देख–रेख में किया जाएगा।

(ii). इस हेतु विभागीय अभियंत्रण कोषांग द्वारा नियमानुसार विधिवत सामाचार–पत्रों में निविदा प्रकाशित कर ई–प्रोक 2.0 के माध्यम से निविदा आमंत्रित किया जाएगा तथा एजेंसी का चयन किया जायेगा।

(iii). योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण मत्स्य निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जाएगा। साथ ही, अभियंत्रण कोषांग के द्वारा अनुशंसित विपत्र राशि का भुगतान मत्स्य निदेशालय के द्वारा किया जायेगा।

8. सामान्य क्रियान्वयन निदेश :–

(i) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सूत्रण, स्वीकृति, अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय स्वीकृति और अनुश्रवण समिति (SLAMC) एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति (DLC) का गठन राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या–889, दिनांक–07.08.2020 के द्वारा किया गया है।

(ii) इस योजनान्तर्गत स्वीकृत अवयवों का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार के मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से सम्बन्धित निर्गत Operational Guidelines के तहत किया जायेगा।

(iii) भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. j-117012/13/2020-Fy (E-17011), दिनांक–29.03.2026 के कंडिका (c), (d) एवं (e) के अनुसार –

(c) "In accordance with funding pattern of the PMMSY, the liability of Government of India towards implementation of the approved activities/projects of Government of Bihar for Establishment of Integrated Aqua Park, at Vanasaur Fish Seed Farm, Bhojpur under the CSS-Component of PMMSY will be lunited to Rs. 3120.92 lakh."

(d) "This admissible Central liability will be released to the Government of Bihar as per the latest guidelines of Department of Expenditure. Release of funds and utilization of at least 75% of the funds previously released and release of matching Stare share for the previous releases by the DoF, Gol."

(e) "The State is permitted to incur expenditure, from out of the funds already sanctioned so far for implementation of PMMSY Action Plans. As and when utilization reaches 75% and more of the funds released for the scheme including State share, next installments will be released immediately, subject to meeting the condition specified by DoE for release of funds under CSS."

(iv) Department of Expenditure, Govt. Of India के दिशानिर्देश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश/Central Liability की राशि राज्य सरकार को विमुक्त किया जायेगा। राज्य सरकार स्वीकृत केन्द्रांश राशि तथा इसके अनुपातिक राज्यांश राशि का बजटीय उपबंध प्राप्त कर, केन्द एवं राज्य सरकार द्वारा SNA SPARSH आदि प्रणाली से सम्बन्धित निर्गत दिशानिर्देश/अनुदेश के आलोक में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

(v) योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो, विभागीय अधिसूचना संख्या म०योजना–08/2021–313, दिनांक 02 मार्च, 2022 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु समुचित निर्णय लिया जाएगा अथवा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval and Monitoring Committee) के अनुमति से निदेशक, मत्स्य, बिहार आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर सकेंगे।

(vi) चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 तथा आगामी वर्षो में केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक राज्यांश राशि के अनुरूप उपबंधित राशि से अथवा आवश्यक्तानुसार अतिरिक्त बजट उपबंध प्राप्त कर योजना का

कार्यान्वयन किया जाएगा। परन्तु व्यय हेतु स्वीकृति कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रहेगा।

9. इस योजना के तहत बजट शीर्षवार, विषयशीर्षवार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कोषागार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि आदि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

10. SNA SPARSH आदि प्रणाली से सम्बन्धित केन्द्र एवं राज्य सरकार (वित्त विभाग, बिहार, पटना) द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश से इस योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी/अंतरण/व्यय किये जाने वाले राशि आच्छादित होगी।

11. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी तथा पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे। साथ ही, व्यय की गई राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।

13. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–ब०–15/बी०एस०जी०–57/25/410/वि०, दिनांक–12.06.2025 के द्वारा SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शामिल है) के सफल क्रियान्वयन से संबंधित निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में–इस केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की राशि का 60:40 अनुपात में विकलन मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0219 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०), विपत्र कोड–02.2405001010219 (पी०एफ०एम० एस० कोड–3890) के विषय शीर्ष–0219.31.05 –सहायक अनुदान– परिसम्पतियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि अनुपूरक आगणन/पुनर्विनियोग के माध्यम प्राप्त कर किया जाएगा।

14. दिनांक–20.05.2026 को सम्पन्न लोक वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस०(6)40/2026 के पृष्ठ 21–22/प०.

15. दिनांक–03.06.2026 को मद संख्या–04 के रूप में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)40/2026 के पृष्ठ–14/टि०.

16. निदेशक, मत्स्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि

से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

17. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)40/2026 के पृष्ठ–15/टि० तथा डायरी सं०–377, दिनांक–09.06.2026.

18. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)40/2026– 2921 /पटना–15, दिनांक– 11/06/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)40/2026– 2921 /पटना–15, दिनांक– 11/06/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)40/2026– 2921 /पटना–15, दिनांक– 11/06/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)40 / 2026– 2921 /पटना–15, दिनांक– 11 /06/ 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ उपायुक्त (मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)40 / 2026– 2921 /पटना–15, दिनांक– 11 /06/ 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक–03.06.2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–04 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)40 / 2026– 2921 /पटना–15, दिनांक– 11 /06/ 2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मत्स्य निदेशालय के बजट, शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)40 / 2026– 2921 /पटना–15, दिनांक– 11 /06/ 2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)40 / 2026– 2921 /पटना–15, दिनांक– 11 /06/ 2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के विभाग के सभी पदाधिकारी / प्रशाखा–6 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)40 / 2026– 2921 /पटना–15, दिनांक– 11 /06/ 2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)40 / 2026– 2921 /पटना–15, दिनांक– 11 /06/ 2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–I

चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के तहत "इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना" हेतु वृहद, लघु एवं उपशीर्ष बजट विवरणी, कोषागार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची तथा स्वीकृत राशि की विवरणी।

क्र० सं०	वृहद, मुख्य, लघु, उप शीर्ष एवं विपत्र कोड	विषय शीर्ष	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार /प्रणाली का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0219 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02–2405001010219 (पी०एफ०एम०एस० कोड–3890) (केन्द्रांश : राज्यांश = 60:40)	0219–31.05 –सहायक अनुदान–परिम्पत्तियों का निर्माण	3120.92	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	कोषागार (सभी)/ एस०एन०ए० स्पष्ट
		योग :–	3120.92		

2921
11/6/26

(इकतीस करोड़ बीस लाख बानबे हजार रुपये) मात्र।

सरकार के संयुक्त सचिव

Annexure-I

Item-wise details of the approved cost break-up for *Establishment of Integrated Aqua Park, at Vanasaur Fish Seed Farm, Bhojpur, Bihar* under the Centrally Sponsored Scheme Component of the "Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY): A scheme to bring about Blue Revolution through sustainable and responsible development of fisheries sector in India" during the financial year **2025-26.**

(in Lakh)

S. No	Components	Unit	Unit Cost	Total cost of activity	Central Share	State Share
1	**Carp Hatchery (Hatchery component with shed)**					
a	Spawning pool (5m dia; 1.3 m height)	1	As per PMMSY guideline and SOR	57.48	34.49	22.99
b	Egg Incubation Tanks(2.5 m dia;1.3m height)	8				
c	Egg collection chamber (2×1×1 m)	2				
d	Spawn Acclimatization Tank (2 x 0.75m)	4				
e	Water supply line from overhead tanks*					
f	Miscellaneous (Plastic tubs, water pipe,aeratuion pipe etc.)					
g	Packing and Transport Unit					
	Total (1)			**57.48**	**34.49**	**22.99**
2	**Stripped catfish hatchery (Hatchery component with shed)**					
a	Broodstock holding tank (5m×4m) 1.3 m height	2	As per PMMSY guideline and SOR	66.10	39.66	26.44
b	Egg incubation tanks (2.5m dia, 1.3 m height)	8				
c	Stripping platform (2×1× 1 m)	1				
d	Spawn acclimatization tank (2×0.75m)	4				
e	Water supply line from overhead tanks*					
f	Miscellaneous (Plastic tubs, water pipe, aeration pipe etc.)					
g	Packing and Transport Unit					
	Total (2)			**66.10**	**39.66**	**26.44**
3	**Brooder Incubation Unit**					
a	Brood incubation tank (1 tonne capacity)	10	As per PMMSY guideline and SOR	52.85	31.71	21.14
b	Egg incubation tanks (150-200 liter tray)	60				
c	Fry rearing tank (2m dia × 0.3m height) with inlet and outlet	20				
d	Flow through system for incubating fertilized egg	1				
e	Provision of water pipe to hatchery and rearing tanks	1				
f	Water supply line from overhead tanks	1				
g	Miscellaneous (Plastic tubs,water pipe,aeration pipe etc)					
	Total (3)			**52.85**	**31.71**	**21.14**
4	**Overhead Tank, Concrete Rearing Tank, ETP Pipeline**					
a	Overhead Tank (3x 60000 Ltr)	180000 Ltr	As per PMMSY guideline and SOR	605.79	363.47	242.32
b	Concrete Rearing Tank (16 x 60000 Ltr) an d (20 x 60000 Ltr)	96 KLtr 1200KLtr				
c	Effluent treatment plant (ETP)	50 Kld				
d	Pipeline Fitting	420 Mtr				
	Total (4)			**605.79**	**363.47**	**242.32**
5	**Construction of different pond facilities**					
a	Nursery & rearing pond (40m×25m×1.5m)	50	As per PMMSY guideline	144.56	86.74	57.82
b	Grow-out pond (40m×50m×2.0m depth)	10				
c	Reservoir pond (200m×100m×3.0m depth)	1				
	Total (5)			**144.56**	**86.74**	**57.82**

2921
11/6/26

S. No	Components	Unit	Unit Cost	Total cost of activity	Central Share	State Share
6	**Construction of biofloc facilities**					
a	Concrete biofloc tanks (5m dia, 1.45 m with individual central drainage facilities)	10 units	2.5	98.59	59.15	39.44
b	Aeration facility	1 common unit	5			
c	Water supply system	1 common unit	10			
d	Common drainage facilities from all tanks	1 common unit	5			
	Total (6)			**98.59**	**59.15**	**39.44**
7	**RAS**					
a	The Recirculating Aquaculture System (RAS) including fish tank (4 tanks, 5 m dia, concrete tanks), mechanical filtration system, foam fractionation unit, biological filtration system, degassing system, oxygen injector system. UV, piping, and miscellaneous minor systems and equipment, establishment of RAS and commissioning	1 unit with four tanks and other accessories	As per PMMSY guideline and SOR	68.23	40.94	27.29
	Total (7)			**68.23**	**40.94**	**27.29**
8	**Feed mill shed with machinaries**					
a	Machinaries of feed mill with shed	1 unit	As per PMMSY guideline and SOR	54.99	32.99	22.00
	Total (8)			**54.99**	**32.99**	**22.00**
9	**Construction of Hostel /Guest House**					0.00
a	Training hostel for boarding facility for 50 trainees including guest house with canteen (15m×20m; double storeyed)	1 unit	As per SOR	1008.43	605.06	403.37
	Total (9)			**1008.43**	**605.06**	**403.37**
10	**Construction of administrative, laboratory and training complex**					
a	Administrative complex/laboratory/training hall Block development (internal boundry wall, pathways, drainage & lighting) const of external boundry wall of fish seed farm ,karisat ,bhojpur	1 unit	As per SOR	632.98	379.79	253.19
	Total (10)			**632.98**	**379.79**	**253.19**
11	**Water quality lab equipment**					
a	pH Meter	1	As per SOR	0.50	0.30	0.20
b	Conductivity Meter-cum-TDS meter	1		0.50	0.30	0.20
c	Kjeldahl Distillation system	1		6.00	3.60	2.40
d	Spectrophotometer -UV-vis	1		7.50	4.50	3.00
e	Water Distillation system	1		3.00	1.80	1.20
f	Mechanical Shaker	1		1.00	0.60	0.40
g	Hot air oven	1		0.75	0.45	0.30
h	Refrigerator	1		0.75	0.45	0.30
i	BOD Incubator	1		1.50	0.90	0.60
j	COD Digester Assembly	1		1.00	0.60	0.40
k	Pan Top Electronic Balance	1		1.00	0.60	0.40
l	Flame Photometer	1		1.50	0.90	0.60
m	Desktop Computer with Printer	1		2.00	1.20	0.80

S. No	Components	Unit	Unit Cost	Total cost of activity	Central Share	State Share
	Total (11)			**27.00**	**16.20**	10.80
12	**Equipment for disease diagnostic laboratory**					
A.	**Microbiology related work**					
i	Laminar airflow unit (Vertical Horizontal)	1	As per PMMSY guideline & SOR	2.00	1.20	0.80
ii	Bright field microscope	1		2.00	1.20	0.80
iii	Stereo zoom Microscope	1		2.00	1.20	0.80
iv	Autoclave (Digital)	1		2.00	1.20	0.80
v	Bench top Centrifuge	1		1.50	0.90	0.60
vi	BOD incubator (with shaker)	1		2.00	1.20	0.80
vii	Microplate reader/ELISA reader	1		2.50	1.50	1.00
viii	Digital balance	1		1.50	0.90	0.60
	Sub-total			**15.50**	9.30	6.20
B.	**Pathology/ Histopathology related work**					
i	Microtome	1	SOR	2.00	1.20	0.80
ii	Microscope with camera	1		3.00	1.80	1.20
iii	Hot plate	1		0.50	0.30	0.20
iv	Hot Air Oven (digital)	1		1.00	0.60	0.40
	Sub-total			**6.50**	3.90	2.60
C.	**PCR/ Molecular biology related work**					
i	PCR workstation/or Laminar Flow Unit (Horizontal)	1	As per SOR	1.50	0.90	0.60
ii	Cooling centrifuge	1		3.00	1.80	1.20
iii	Milli Q unit	1		4.00	2.40	1.60
iv	pH Meter	1		0.50	0.30	0.20
v	PCR (Thermal Cycler)	1		2.50	1.50	1.00
vi	Nano-drop UV-Spectrophotometer	1		3.00	1.80	1.20
vii	Gel documentation system	1		4.00	2.40	1.60
viii	Horizontal gel electrophoresis unit with Power pack	1		3.00	1.80	1.20
ix	Micropipettes (ranges from 1-10µl; 10-100µl; 20-200µl; 100-1000µl	2		1.00	0.60	0.40
	Sub-total			**22.50**	13.50	9.00
D.	**General Purpose item**					
i	Electronie Balance (digital)	1	As per SOR	1.00	0.60	0.40
ii	Laboratory, freezer	2		1.50	0.90	0.60
iii	Ice flake machine	1		2.00	1.20	0.80
iv	Waterbath	1		2.00	1.20	0.80
v	Deep Freezer -80°C	1		4.50	2.70	1.80
vi	Deep Freezer -20°C	1		1.00	0.60	0.40
vii	Distillation Unit	1		4.00	2.40	1.60
viii	Incinerator	1		4.00	2.40	1.60
ix	Minor Equipment like Vortex mixture, spin win,Magnetic stirrer with hot plate etc	1 (each)		3.50	2.10	1.40
	Sub-total			**23.50**	14.10	9.40
	Total (12)			**68.00**	**40.80**	**27.20**
13	**P.C.C Road in campus**		As per SOR	**67.74**	**40.64**	**27.10**
14	**Drainage in campus**			**33.02**	**19.81**	**13.21**
15	**Septic Tank**			**4.24**	**2.54**	**1.70**
16	**Quarantine tank and wet lab facility**					
a	Rectangular quarantine concrete tanks with aeration facilities (4m x 2m x 2m)	4 unit	As per	30.00	18.00	12.00

2921
T/06/26

S. No	Components	Unit	Unit Cost	Total cost of activity	Central Share	State Share
b	Wet laboratory facility	1 unit	SOR			
	Total (16)			**30.00**	**18.00**	12.00
17	**Tube well with 3 H.P Submersible Pump 4 Nos**		As per SOR	10.00	6.00	4.00
	Sub Total			**3030.02**	**1818.01**	1212.01
	Contingency 3% as considered for similar projects			90.90	54.54	36.36
	Total			**3120.92**	1872.55	1248.37

(Rakesh Kumar)
Deputy Commissioner (Fisheries)